>

Title: Motion following amendments made by Rajya Sabha in the Central Sanskrit Universities Bill, 2019 , as passed by Lok Sabha.

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITIES BILL, 2019

Amendments made by Rajya Sabha

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 13, माननीय मंत्री जी ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- "

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" के स्थान पर शब्द "इकहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें ।

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" प्रतिस्थापित करें ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके

आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- ”

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द “सत्तरवें” के स्थान पर शब्द “इकहत्तरवें” प्रतिस्थापित करें ।

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” प्रतिस्थापित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे । अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द “सत्तरवें” के स्थान पर शब्द “इकहत्तरवें” प्रतिस्थापित करें ।

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” प्रतिस्थापित करें ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथापारित, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“ कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों पर सभा सहमत है ।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “ कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों पर सभा सहमत है ।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आज माननीय सदस्यों का प्राइवेट मैम्बर्स बिल का दिन है, जो आज चलेगा, इसलिए माननीय सदस्य तीन बजकर 15 मिनट तक अपनी बात कहें, 15 मिनट माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे और साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिल शुरू होगा ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष, यह रिजॉल्यूशन पिछले छः-सात महीने से लगातार चल रहा है, महताब जी भी यह कहना चाह रहे होंगे । क्या एक रिजॉल्यूशन में चार सैशन बिता देंगे?

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि दूसरा या तीसरा रिजॉल्यूशन ले लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: सदस्यों का सुझाव बहुत उत्तम है । मैं माननीय सदस्यों की बात पर विचार करके सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर कार्रवाई करे ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था दी जाए कि रिजॉल्यूशन की एक अवधि रहनी चाहिए । जैसे प्राइवेट मैम्बर्स बिल के लिए दो घंटे तय होते हैं, इस हिसाब से रिजॉल्यूशन की भी एक अवधि रहनी चाहिए ।

मुझे यहां रितेश जी पूछ रहे थे कि मेरा तीन नंबर पर रिजॉल्यूशन है, यह आएगा या नहीं आएगा । यह पहली बार लगा है । वह कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार लगने के बाद तीसरी बार नहीं लगेगा, अगर यह चर्चा नहीं होगी और फिर यह लॉटरी में जाएगा । यही सिस्टम है ।

अगर आप अवधि तय कर लें कि इतने समय में यह कम्पलीट होगा तो जो पैंडिंग है, चाहे प्राइवेट मैम्बर्स बिल हो या रिजॉल्यूशन हो, उसे ले लिया जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी उपस्थित होंगे । मैंने उनको माननीय सदस्यों के आग्रह पर कहा है कि आज इस संकल्प को पूरा करें । अभी वरिष्ठ सदस्य ने जो कहा है, मैं सभी दलों से इस बारे में चर्चा करके विचार करूंगा कि कि स तरह से संकल्प और प्राइवेट मैम्बर्स बिल को कितने दिन और कितने समय में चलाना है । मैं आपके सुझाव पर सभी दलों की सहम**ति** से विचार करूंगा ।